—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 57/2019

उनवान

नारायण सिंह दत्तक पुत्र कान सिंह जाति राव राजपूत निवासी ग्राम रामपुरा अहिरान, नसीराबाद

—— प्रार्थी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. काना पुत्र गोकुल जाति अहीर नि0 रामपुरा अहि0, नसीराबाद,
2. गोपाल सिंह पुत्र संपत कंवर पत्नी भगवान सिंह राजौरा नि0 सूरजन्यास पोस्ट साडास जिला भीलवाडा,
3. राधेश्याम पुत्र मांगीदास जाति सादू नि0 रामपुरा अहि0 नसीराबाद,
4. मैनेजर स्टेट बैंक आफॅ इंडिया शाखा श्रीनगर, अजमेर,
5. उप पंजीयक, नसीराबाद,
6. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 व 3 जरियें अधिवक्ता श्री नितेश यादव,
2 व 4 अनुपस्थित, 5 व 6 जरियें राज. पैरोकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 11.7.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा अहिरान में वादी की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजी है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

चौसाला ख. न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
1197	3—0—0	1512	1—9—0	1696	0.23
1197/1	1—10—0	1510 मिन	1—10—0	1695	0.24
1197/2	1—10—0	1508 मिन	0—1—0	1674	0.01
		1509	0—5—0	1694	0.04
1212	3—13—0	1529	1—17—0	1699	0.30
1212/1	1—16—0				
1212/2	1—16—0				
		1530	1—16—0	1698	0.29

उपरोक्त आराजी साबिक राजस्व अभिलेख में चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023 से 2026 में कान सिंह व मदन सिंह पुत्र [illegible] सिंह के नाम दर्ज है [illegible] कान सिंह के प्रार्थी नारायण सिंह गोद पुत्र होने के कारण कान सिंह के हिस्से [illegible] आराजी का मालिक स्वामी चला आ रहा है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का [illegible] /2 हिस्सा [illegible] सहायक [illegible] भू प्रबन्ध अधिकारी अजमेर द्वारा दिनांक 10.08.1981 को आराजी मुतनाजा [illegible] सिंह के स्थान पर प्रार्थी के नाम दर्ज

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

करने के आदेश पारित किये। प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 22.04.1978 को कान सिंह द्वारा गोदनामा निष्पादित किया गया। दिनांक 11.10.1979 को उक्त आराजी का वसीयतनामा भी प्रार्थी के पक्ष में कान सिंह द्वारा निष्पादित किया गया। उक्त आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार मदन सिंह के वारिस दो पुत्री संपत कंवर व नन्दू कंवर है। नन्दू कंवर की नाऔलाद मृत्यु हो गयी है। संपत कंवर का वारिस पुत्र गोपाल सिंह अप्रार्थी संख्या 2 है। बंदोबस्त विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 1696 रकबा 0.23, 1695 रकबा 0.24, 1674 रकबा 0.01, 1694 रकबा 0.04, 1699 रकबा 0.30, 1698 रकबा 0.29 वादी के नाम अंकन करने के स्थान पर गैर कानूनी तरीके से अप्रार्थी संख्या 2 मदन सिंह के नाम व हाल खसरा नम्बर 1695 रकबा 0.24 व 1698 रकबा 0.29 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम तथा खसरा नम्बर 1674 अप्रार्थी संख्या 3 के पिता मांगीदस के नाम अंकित कर दिया। जिस कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा हैं। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने जरियें विक्रय पत्र मदन सिंह पुत्र राम सिंह जाति राव राजपूत से क्रय की थी। विक्रय दिनांक से उक्त आराजी पर कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 का है। प्रार्थी द्वारा मिथ्या कथनों पर प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। उक्त विक्रय पत्र में विक्रेता के भाई कान सिंह की सहमती है तथा विक्रय पत्र पर बतौर गवाह अंगूठा निशानी अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 व 4 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 3 का जवाब बंद किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

<u>प्रथम दृष्टया मामला :—</u>

हाल खसरा नम्बर 1695, 1698 अप्रार्थी काना पुत्र गोपाल के नाम, हाल खसरा नम्बर 1674 अप्रार्थी संख्या 3 के पिता के नाम तथा हाल खसरा नम्बर 1696, 1699, 1694/1946, 1694/2090 कान सिंह, मदन सिंह पित्र राम सिंह के नम दर्ज हैं। प्रार्थी हाल इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण होने का कथन करता है। किन्तु उक्त इन्द्राज वर्ष 2002 से अंकित है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आराजी मुतनाजा क्रय होने का कथन अपने जवाब में किया है। अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार है जिन्हे पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। भूमि के इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्व होगे। मौखिक कथनों के आधार पर हाल इन्द्राज को प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। **अतः** प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :— विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगणकी खातेदारी में दर्ज है। भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार को बिना किसी ठोस कारण के पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है।प्रकरण में विषम परिस्थितिया सिद्व नही होती है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. <u>सुविधा का संतुलन</u> :— न्यायहित में व्यादेश [illegible] ने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये सु[illegible] किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रा[illegible] पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:11 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम रामपुरा अहिरान की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:35:11 IST
Reason: SelfAttested